प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 6847/2006

याचिकाकर्ता सर्वानंद गिरि

बनाम

उत्तरवादी

समूह महाप्रबंधक, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

16 सितंबर, 2009 को निर्णय को उदघोषणा हेतु सूची बद्ध करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>

रिट याचिका सेवा क्रमांक 6847/2006

याचिकाकर्ता सर्वानंद गिरि

बनाम

उत्तरवादी

समूह महाप्रबंधक, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश।

- याचिकाकर्ता के लिए: श्रीमती फौज़िया मिर्ज़ा, अधिवक्ता, सहित सुश्री फ़ारह मिन्हाज अधिवक्ता।
- उत्तरवादी के लिए: श्री पी.एस. कोसी , अधिवक्ता, सहित श्री एन.एन. रॉय, अधिवक्ता।

निर्णय

(16 सितंबर, 2009 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय, दुर्ग द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2006 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी/4), जो मामले क्रमांक 118/एमपीआईआर/के-1/ए/2003 में पारित किया गया था, की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी है जिसे

औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2006 के आदेश (अनुलग्नक पी/6) द्वारा अपील क्रमांक 22/सीजीआईआर अधिनियम/ए-II/2006 में पुष्टि की गई थी।

2. निर्विवाद तथ्य, संक्षेप में, यह है की याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी कंपनी में हेल्पर के रूप में कार्यरत था। संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (संक्षेप में 'योजना'), दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 के तहत, याचिकाकर्ता ने 21 अक्टूबर, 2002 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया (परिशिष्ट P/1)। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 12 नवंबर को एक और आवेदन (परिशिष्ट P/2) प्रस्तुत किया, जिसमें 21 अक्टूबर, 2002 के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पूर्व आवेदन को वापस लेने की मांग की गई। प्रतिवादी कंपनी ने 20 नवंबर, 2002 के आदेश (परिशिष्ट P/3) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि 01 नवंबर, 2002 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और कर्मचारी को कंपनी की सेवाओं से 30 नवंबर, 2002 (दोपहर बाद) से मुक्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5,33,891.43 रुपये की राशि का भुगतान भी किया गया। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दुर्ग के श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। श्रम न्यायालय ने 04 मार्च, 2006 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लिया है, इसलिए वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन की स्वीकृति के खिलाफ किसी राहत का हकदार नहीं है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को वापस लेने का याचिकाकर्ता का आवेदन ठीक ही खारिज किया गया। उक्त आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय में अपील दायर की। औद्योगिक न्यायालय ने 03 जुलाई, 2006 को निर्णय दिया कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता का 21 अक्टूबर, 2002 का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन 01 नवंबर, 2002 को स्वीकार किया गया था और उसे कंपनी से 30 नवंबर, 2002 (दोपहर बाद) से मुक्त कर दिया गया था। कर्मचारी ने योजना के तहत कुल लाभ के रूप में 5,33,891.43 रुपये की राशि प्राप्त की। श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन खारिज कर दिया गया, इसलिए यह याचिका।

3. श्रीमती फौजिया मिर्जा, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, तथा सुश्री फराह मिनहाज, विद्वान अधिवक्ता, ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुश्रण, दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। अपने आवेदन की स्वीकृति का आदेश प्राप्त करने से पूर्व, याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपने आवेदन को वापस लेने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता को दिनांक 20 नवंबर, 2002 का एक कार्यालय आदेश (अनुलग्नक पी/3) प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 का आवेदन नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया गया, जो दिनांक 30 नवंबर, 2002 से प्रभावी हुआ, अतः नियोक्ता और कर्मचारी का विधिगत संबंध तब तक बना रहा जब तक याचिकाकर्ता को कार्यालय से मुक्त नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्रीमती मिर्जा ने आगे प्रस्तुत किया कि जब तक नियोक्ता और कर्मचारी का विधिगत संबंध दिनांक 30 नवंबर, 2002 को समाप्त नहीं होता, वर्तमान मामले में, कर्मचारी अपने आवेदन को वापस ले सकता था, भले ही वह पहले स्वीकार किया गया हो।

5. दूसरी ओर, श्री पी.एस. कोसी, उत्तरवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता, एवं श्री एन.एन. रॉय, विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित, ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह याचिका कायम रखने योग्य नहीं है, क्योंकि अधिनास्थ न्यायालयों ने

समवर्ती रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकार कर लिया, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दे सकता। श्री कोसी ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 का आवेदन दिनांक 01 नवंबर, 2002 को स्वीकार किया गया था, यद्यपि इसे बाद में सूचित किया गया, क्योंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवंबर, 2002 से प्रभावी हुई। श्री कोसी ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकार कर लिया, तो वह अपनी पूर्व स्थिति से पीछे नहीं हट सकता, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने *बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओ.पी. स्वर्णकार और अन्य*[1] के मामले में अभिनिर्धारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "114 तथापि, यह स्वीकार किया जाता है कि कर्मचारियों के एक समूह ने अनुग्रह राशि का भुगतान स्वीकार किया। जिन्होंने अनुग्रह राशि या योजना के तहत किसी अन्य लाभ को स्वीकार किया, हमारे विचार में, वे उससे पीछे नहीं हट सकते थे।
>
> 115 योजना संविदात्मक प्रकृति की है। संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त संविदात्मक अधिकार, अतः, त्यागा जा सकता था। संबंधित कर्मचारियों को, जिन्होंने लाभ का एक हिस्सा स्वीकार किया, न तो स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती थी और न ही उन्हें अपनी पूर्व स्थिति से पीछे हटने की अनुमति दी जा सकती थी।"

श्री कोसी ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिका आधारहीन है और इसे खारिज किए जाने योग्य है।

---

[1] (2003) 2 SCC 721

6. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, याचिकाओं और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवधारित किया।

7. दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को तर्कों के समापन के पश्चात प्रसारित किया गया था। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 का पत्र निम्नलिखित रूप में है:

"हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड कोलकाता"

संख्या: पीईआर/आरआर/531/2002/913/जी-2806

दिनांक 07.10.2002

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रति

एचएससीएल

संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

आप कंपनी की कठिन वित्तीय स्थिति, संसाधनों की कमी और बाधाओं से भली-भांति परिचित हैं, जिसके परिणामस्वरूप वेतन/मजदूरी और अन्य विधिगत बकायों के भुगतान में असामान्य विलंब हो रहा है। कंपनी द्वारा विभिन्न उपायों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और इसके और बिगड़ने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ संगठन के हितों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से, सरकार द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुरूप, डीपीई के कार्यालय ज्ञापन (32)/97 डीपीआई(डब्ल्यूसी) दिनांक 6 मई, 2000 में निहित संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

निदेशक मंडल ने अपनी 220वीं बैठक में, जो दिनांक 27 जून, 2002 को आयोजित हुई थी, पुरानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को निरस्त करते हुए कंपनी में नई संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अनुमोदित किया है, जो अनुलग्नक-ए में संलग्न है। यह योजना सभी कर्मचारियों पर लागू होगी और इस विषय पर पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को अतिष्ठित करती है।

इच्छुक कर्मचारी संबंधित इकाइयों में निर्धारित प्रारूप में, जो संलग्न है, अपने आवेदन की दो प्रतियों में तत्काल, किंतु दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 से पहले अपने विभागाध्यक्ष (एचओडी) को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उसी दिन अपनी अनुशंसाओं के साथ आवेदन को संबंधित कार्मिक विभाग को प्रेषित करेंगे। इकाई कार्मिक विभाग आवेदन के मुख्य भाग पर आवश्यक जानकारी उसी दिन प्रदान करेगा और इकाई प्रमुख की अनुशंसाओं के साथ इसे सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक), एचएससीएल/कोलकाता को प्रेषित करेगा, ताकि यह दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 को या उससे पहले सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक), एचएससीएल/कोलकाता तक पहुंच जाए। जानकारी प्रदान करते समय, इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदान की गई जानकारी सही हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बकाया वेतन/मजदूरी का भुगतान भारत सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होने पर यथाशीघ्र किया जाएगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआर) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों, जो कंपनी के क्वार्टर/पट्टे पर दी गई आवास सुविधा में रह रहे हैं, से अनुरोध है कि वे अपनी मुक्ति और/या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और सेवांत प्रसुविधाए के भुगतान से पहले कंपनी के क्वार्टर/पट्टे पर दी गई आवास सुविधा को संबंधित प्राधिकारी को सौंप दें। यदि क्वार्टर/पट्टे पर दी गई आवास

सुविधा को सौंपने में विफलता होती है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ, अर्जित अवकाश (ईएल) का नकदीकरण, बकाया वेतन और अन्य बकाया, यात्रा भत्ता और परिवहन लागत आदि का भुगतान रोक दिया जाएगा और यह केवल तब जारी किया जाएगा जब वे क्वार्टर खाली करेंगे और "कोई मांग प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करेंगे।

वर्तमान कठिन वित्तीय बाधाओं के कारण वेतन/मजदूरी और अन्य बकायों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना कठिन होगा, अतः आप कृपया अपनी नियंत्रणाधीन इकाइयों के कर्मचारियों को उनके स्वयं के हित में इस अवसर का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

(वी.के. सिंह)

सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. योजना के खंड 4.2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआर) के अनुरोधों की स्वीकृति/अस्वीकृति पूर्णतः प्रबंधन के विवेकाधीन होगी, जिसमें कार्य के हित में प्राप्त आवेदन को अस्वीकार करना भी शामिल है। योजना के तहत कोई भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तब तक प्रभावी नहीं मानी जाएगी जब तक कि प्रबंधन का निर्णय कर्मचारियों को लिखित रूप में सूचित नहीं किया जाता। योजना के तहत सेवानिवृत्ति लाभों में अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया भुगतान), सीपीएफ नियमों के अनुसार देय भविष्य निधि खाते की शेष राशि, कंपनी के नियमों के अनुसार संचित अर्जित अवकाश (ईएल) का नकद समतुल्य, कर्मचारी पर लागू उपदान अधिनियम या उपदान योजना के अनुसार उपदान, तथा एक माह/तीन माह की नोटिस अवधि का वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है।

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और इसे दिनांक 01 नवंबर, 2002 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात, योजना के अनुसार एक माह का वेतन प्रदान करने के बाद, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश दिनांक 30 नवंबर, 2002 से प्रभावी हुआ। यह दिनांक 20 नवंबर, 2002 के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक पी/3) के माध्यम से सूचित किया गया। याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों की योजना के अनुसार गणना की गई और यह 5,33,819.43 रुपये निर्धारित की गई, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया। योजना के तहत सेवानिवृत्ति लाभों के निर्धारण को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

10. यह सु-स्थापित विधि है कि यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत मांगी गई है, तो वह विधि के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होगी, बल्कि योजना की शर्तों और नियमों द्वारा नियंत्रित होगी। योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी कंपनी कठिन वित्तीय बाधाओं और संसाधनों की कमी से पीड़ित थी, और इसलिए कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2002 को प्रस्तुत किया गया था। यह एक पूर्ण पैकेज था और इसमें प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी एक माह/तीन माह की नोटिस अवधि के वेतन के हकदार होंगे। तदनुसार, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन को स्वीकार करने के बाद, आवेदन को दिनांक 01 नवंबर, 2002 को स्वीकार किया गया, जो दिनांक 30 नवंबर, 2002 (अपराह्न) से प्रभावी हुआ, जैसा कि दिनांक 22 नवंबर, 2002 के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया। अतः, याचिकाकर्ता को न तो स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है और न

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ही वह अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार होने के बाद विपरीत रुख अपना सकता है। *{देखें: बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओ.पी. स्वर्णकार (पूर्वोक्त)}*।

11. इस न्यायालय ने *किशोर कुमार व्यास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य*[2] के मामले में, जहाँ समान मुद्दा विचारण के लिए आया था, निम्नानुसार अवधारित किया:

"7. बलराम गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य का नियम, जो कुछ मामलों में प्रभावी होता है कि कोई व्यक्ति अपना त्यागपत्र उसके प्रभावी होने से पहले वापस ले सकता है, इस प्रकार के मामले में पूर्ण बल के साथ लागू नहीं होगा, जहाँ शासकीय सेवक संबंधित प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नियमों के प्रावधानों के तहत इसे वापस नहीं ले सकता।

8. *पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रमोद कुमार भाटिया* के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"7. यह अब एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि जब तक कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद कर्तव्य से कार्यमुक्त नहीं किया जाता, तब तक कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का विधिगत संबंध समाप्त नहीं होता। चूंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने का आदेश एक सशर्त था, इसलिए शर्तों का पालन किया जाना चाहिए था। शर्तों का पालन होने से पहले, याचिकाकर्ता ने योजना को वापस ले लिया। फलस्वरूप, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने का आदेश प्रभावी नहीं हुआ। इस प्रकार, उत्तरदाता के पक्ष में कोई निहित अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ है।

[2] 2008 (l)CGLJ 259

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि उत्तरदाता ने एक निहित अधिकार प्राप्त कर लिया है और, इसलिए, याचिकाकर्ता को बाद में योजना को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है।"

9. *श्रीकांत एस.एम. बनाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड* के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 25 और 26 पर निम्नानुसार अवधारित किया है:

"25. *शंभू मुरारी सिन्हा बनाम प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (शंभू मुरारी सिन्हा)* I में, शंभू मुरारी सिन्हा में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब एक कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वापस ले ली गई थी, तो वह सेवा में बना रहा। नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध समाप्त नहीं हुआ और कर्मचारी के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए पश्चात्ताप करने का स्थान था। इसलिए, वह ड्यूटी पर फिर से शामिल होने का हकदार था और निगम उसे काम करने देने के लिए बाध्य था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. पूर्वोक्त निर्णयों के आधार पर, हमारे सुविचारित मत में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क सही है कि यद्यपि उत्तरदाता कंपनी ने दिनांक 4 जनवरी, 1993 को याचिकाकर्ता के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया था और उसे उसी दिन कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया था, एक बाद के पत्र द्वारा, उसे दिनांक 5 जनवरी, 1993 से दिनांक 13 जनवरी, 1993 तक आकस्मिक अवकाश प्रदान किया गया था। इसके अलावा, उसे सूचित किया गया था कि उसे दिनांक 15 जनवरी, 1993 को कार्यालय के घंटों के बाद कार्यमुक्त किया जाएगा। इसलिए,

हमारे सुविचारित मत में, कानूनी बंधन जारी रहा और नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध दिनांक 4 जनवरी, 1993 को समाप्त नहीं हुआ। कार्यमुक्त करने का आदेश और वेतन का भुगतान भी यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि वह दिनांक 15 जनवरी, 1993 तक कंपनी की सेवा में बना रहा।"

10. *एचईसी वालंटरी रिटायर्ड एंप्लॉयीज वेलफेयर सोसायटी और एक अन्य* बनाम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक कोई क़ानून या सांविधिक प्रावधान इसे रोकता नहीं है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुसरण में या उसके आगे बढ़ने में पक्षों के बीच का संबंध अनुबंध द्वारा शासित होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. *एचईसी वालंटरी रिटायर्ड एंप्लॉयीज वेलफेयर सोसायटी और एक अन्य बनाम हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य*[3] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"22. वित्तीय विचार, इस प्रकार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना शुरू करने के साथ-साथ वेतनमान के संशोधन के लिए भी एक प्रासंगिक कारक हैं। जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना, वे भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। विकल्प देते समय, वे जानते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं। उस समय उन्हें यह अनुमान नहीं था कि उन्हें वेतनमान में संशोधन का लाभ मिलेगा। वे "गोल्डन हैंडशेक" का सहारा लेकर कानूनी संबंध से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करते हैं। वे अपने ही कार्य से बाध्य हैं। पक्षकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

[3] (2006) 3 SCC 708

के अनुबंध के नियमों से बाध्य हैं। हमने यहाँ पहले ही उल्लेख किया है कि जब तक कोई क़ानून या सांविधिक प्रावधान इसे रोकता नहीं है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुसरण में या उसके आगे बढ़ने में पक्षों के बीच का संबंध अनुबंध द्वारा शासित होता है। ऐसे अनुबंध द्वारा, वे अन्य ऐसे नियमों और शर्तों को छोड़ सकते हैं, जिन पर सहमति हो सकती है। इस मामले में अनुबंध के नियम और शर्तें किसी क़ानून या सांविधिक नियमों द्वारा शासित नहीं हैं।"

13. *किशोर कुमार व्यास (पूर्वोक्त)* में, एक कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विनियम, 1989 के प्रावधानों द्वारा शासित थी और वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किसी भी नियमों या विनियमों के तहत नहीं है, बल्कि उस योजना के अनुसरण में है जिसे कई निर्णयों में यह माना गया है कि वह योजना प्रकृति में संविदात्मक थी। यदि कर्मचारी द्वारा योजना के लाभ का एक हिस्सा स्वीकार कर लिया गया है, तो उसे अनुमोदन या अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही उसे अपने पहले के रुख से पीछे हटने की अनुमति दी जा सकती है। *(बैंक ऑफ इंडिया (पूर्वोक्त))।*

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. *ओ.पी.स्वर्णकार* में प्रतिपादित अनुपात को *हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड व अन्य बनाम बंशी लाल व अन्य*[4] के मामले में अनुमोदित रूप से संदर्भित किया गया है।

15. *मॉडर्न स्कूल बनाम शशि पाल शर्मा व अन्य*[5] के मामले में, तथ्य अलग हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहा था। वर्तमान मामले के तथ्य सरकार द्वारा उन कर्मचारियों के लिए जारी की गई योजना के तहत शासित होते हैं, जिन्होंने इसके लिए विकल्प चुना था।"

---

[4] 2006AIRSCW55
[5] (2007) 8 SCC 540

16. *नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एम.पी.) लिमिटेड बनाम एम.आर. जाधव*[6] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

> 20. भारतीय संविदा अधिनियम के तहत परिकल्पित 'संविदा हेतु निमंत्रण' और प्रस्ताव के नियमों के अधीन, एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना होता है। जब तक एक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक एक बाध्यकारी संविदा अस्तित्व में नहीं आता है। एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना मालिक और सेवक के संबंध की समाप्ति की परिकल्पना करती है। इसके पक्षकारों के अधिकार और दायित्व केवल संविदा के पूर्ण होने पर ही प्रवर्तनीय होंगे। जब तक ऐसी अवस्था नहीं आ जाती, तब तक कोई भी वैध संविदा लागू नहीं हुआ माना जा सकता। अतः, एक प्रस्ताव की स्वीकृति को सूचित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. *इसके अतिरिक्त, ओ.पी. स्वर्णकार (पूर्वोक्त) में* निर्धारित कानून का *बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम के. मोहनदास व अन्य*[7] के मामले में अनुमोदित रूप से पालन किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "15. ओ.पी. स्वर्णकार के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि योजना प्रकृति में संविदात्मक है। यह एक प्रस्ताव देने का निमंत्रण था न कि स्वयं एक प्रस्ताव; कर्मचारियों द्वारा किया गया आवेदन एक प्रस्ताव था। ओ.पी. स्वर्णकार में बताई गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की प्रकृति के संबंध में कानून के कथन को एचईसी वालंटरी रिटायर्ड एंप्लॉयीज वेलफेयर सोसायटी बनाम हैवी

[6] (2008) 7 SCC 29
[7] (2009) 5 SCC 313

इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में दोहराया गया है; हालांकि वह एक अलग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना थी।"

18. बैंक ऑफ इंडिया (पूर्वोक्त) में चुनौती, योजना के कुछ खंडों को लागू करने की थी, जिसमें यह प्रावधान था कि विकल्प चुनने वाले 1995 के पेंशन विनियमों के तहत पेंशन के लिए पात्र होंगे।

19. उत्तरवादी कंपनी का प्रस्ताव याचिकाकर्ता द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करने पर स्वीकार कर लिया गया, तत्पश्चात उसे स्वीकृति प्रदान की गई एवं निर्धारित भुगतान किया गया। अतः अनुबंध पूर्ण हो गया। अनुबंधीय योजना के अंतर्गत परिकल्पित लाभ प्राप्त करने के पश्चात पश्चवर्ती आवेदन के आधार पर इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

20. उपर्युक्त वर्णित कारणों से, याचिका को तदनुसार खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में को ई आदेश नहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी